# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

## (पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

**अपील संख्या 35/2017**

1. हितेश कुमार
2. विनय
3. कृष्णदीप

} पिसरान खैमचन्द जाति वैश्य निवासी उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्टान

**बनाम**

1. श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व0 मुरारीलाल
2. अरविन्द
3. नरेशचन्द

} पुत्रगण मुरारीलाल } जाति वैश्य निवासी किरावली जिला आगरा यू.पी. हाल निवासी फतेहपुर सीकरी तह0 किरावली जिला आगरा

4. श्रीमती सीमा पुत्री मुरारीलाल पत्नी हरीकान्त कौम वैय निवासी राया तहसील व जिला मथुरा (उ0प्र0)

.....रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 06.06.2017 तहसीलदार बयाना नामान्तरकण संख्या 1079 बाकै ग्राम मिलकपुर तहसील बयाना।

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्टान
2. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक रैस्पो0

**निर्णय**

दिनांक : 11.02.2021

अपीलान्टान ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 06.06.2017 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 1079 ग्राम मिलकपुर तहसील बयाना खारिज किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1079 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2017 खिलाफ कानून होने से काबिल खारिजी के है। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर से अपील संख्या 21/17(223)/2017 में आदेश 41 नियम 5 जा0दी0 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 26.05.2017 के कियान्वयन को दिनांक 06.06.2017 को ही स्थगित कर दिया था और इस आशय का शपथ पत्र भी अपीलान्ट ने तहसीलदार बयाना के समक्ष दिनांक 06.06.2017 को प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के स्थगन आदेश दिनांक 06.062017 होने के बाबजूद नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि मूल दावा उनवानी खैमचन्द बनाम उर्मिला मि0न0 133/10 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के यहां लम्बित है जिसमें दिनांक 18.10.2005 को राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है जो अभी तक अप्रभावी नहीं हुआ है तथा दिनांक 06.06.2017 को भी प्रभाव में था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय को जानकारी होते हुये भी नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने अपने तर्को में जाहिर किया है कि हमने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के यहां धारा 144 सी.पी.सी. पेश किया जिसमें दिनांक 26.05.2017 को हुये निर्णय की पालना में विवादित नामान्तरकरण 1079 खोला गाया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश 9 नियम 13 सी.आर.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो खारिज कर दिया गया इस प्रकार माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के आदेश दिनांक 26.05.2017 बहाल रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1079 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नामान्तरकरण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2190, 2191 ग्राम मिलकपुर के खातेदार हितेश कुमार, विनय, कृष्णदीप पिसरान खैमचन्द कौम वैश्य के स्थान पर उर्मिला पत्नी स्व0 मुरारीलाल, अरविन्द, नरेशचन्द पिसरान मुरारीलाल एवं सीमा पुत्री मुरारीलाल खातेदार के इन्द्राज किये गये है एवं टिप्पणी वाले कॉलम में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 26.05.2017 की पालना में नामान्तरकरण दर्ज किया जाना स्पष्ट है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दावा खैमचन्द बनाम उर्मिला में एकपक्षीय डिक्री आदेश को अपास्त करने के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में दायर किया गया। निगरानी भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज की जा चुकी है। निर्णय दिनांक 26.05.2017 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र का निर्णय करते हुये एकपक्षीय डिक्री के आधार पर हुये इन्द्राज को निरस्त कर पूर्व के इन्द्राज को रेस्टोर करने का आदेश दिया है। वकील अपीलान्ट की आपत्ति है कि वक्त नामान्तरकरण स्वीकार किये जाते समय अपीलीय अधिकारी भू-प्रवन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का आदेश 06.06.2017 की कियान्विति को स्थगित किया गया था। स्थगन प्रभावी था यानि स्थगन आदेश के बावजूद नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। नकल स्थगन आदेश दिनांक 06.06.2017 के अवलोकन से स्थगन आदेश पालना हेतु दिनांक 07.06.2017 को जारी होना स्पष्ट है। अतः स्थगन आदेश के बावजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने की दलील मानते योग्य नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरकरण धारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई उपरान्त किये गये निरस्तारण की पालना में खोला गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि हम नहीं पाते है। अतः अपील सारहीन होने के कारण काबिल खारिजी के रहती है।

**अतः आदेश है किः-**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को सुनाया गया।

**(बीना महावर)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**भरतपुर (राज.)**